कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

सोमवार, 07 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(28 मई, 2012 ई0)

खण्ड-479
अंक-01

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' के सामूहिक गान से आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ आरम्भ करने हेतु खड़े होते ही नेता विरोधी दल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा अभिभाषण न पढ़े जाने के कारण श्री अध्यक्ष द्वारा अभिभाषण को पढ़े जाने का कोई औचित्य नहीं है। नेता विरोधी दल ने प्रदेश में व्याप्त जंगलराज एवं गेहूं क्रय केन्द्र पर घोटाले का हवाला देते हुए तथा अभिभाषण के पठन के विरोध स्वरूप अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग किया।

श्री हुकुम सिंह ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद-176 में विशेष सत्र आहूत किये जाने का प्राविधान है जिसमें सदन को आहूत करने का कारण और उद्देश्य बताया जाएगा जबकि अभिभाषण की पुस्तक में इसका कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही उन्होंने वर्तमान महामहिम श्री राज्यपाल के कार्यकाल समाप्त होने का उल्लेख करते हुए कहा कि केन्द्र द्वारा या तो कोई नियुक्ति होती या इनका कार्यकाल बढ़ाया जाता। उन्होंने कहा कि महामहिम श्री राज्यपाल जैसे गरिमामयी पद को इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रतिवाद किया कि महामहिम श्री राज्यपाल की गरिमा पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान की व्यवस्थानुसार श्री राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होगा जिसका पद एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रह सकता है। जब तक दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जायेगी तब तक प्रथम राज्यपाल अपने पद के दायित्व का निर्वहन करेगा।

श्री अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा कि संवैधानिक व्यवस्थानुसार अभिभाषण में अगर आप पढ़ेंगे तो पायेंगे कि कारण और उद्देश्य सब उसमें समाहित है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है तथा इस पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष ने महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों को आज दिये गये अभिभाषण को पढ़ना आरम्भ किया तथा अभिभाषण का प्रथम एवं अन्तिम प्रस्तर को पढ़ा तथा शेष भाग श्री प्रमोद तिवारी के अनुरोध पर पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखा।

मा0 अध्यक्ष, विधान सभा ने ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 जो दिनांक 11 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया था तथा दिनांक 18 अगस्त, 2011 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169 (1) के अन्तर्गत पढ़ कर सुनाया।

मा0 अध्यक्ष, विधान सभा ने ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 जो दिनांक 11 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया था तथा दिनांक 18 अगस्त, 2011 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169 (1) के अन्तर्गत पढ़ कर सुनाया।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169 (2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखा।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169 (2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखा।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित किया कि :-

(1) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(2) उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(3) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(4) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(5) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(7) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(8) श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(9) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(10) द ग्लोकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(11) शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(12) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(13) डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2010 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदया ने अपनी अनुमति विधारित कर दी है।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :-

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2011 की बैठक

में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अगस्त, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

(3) महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 01 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदया की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

(7) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 नवम्बर, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

(9) डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 नवम्बर, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 नवम्बर, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 मई, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 28 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 28 मई, 2012 को प्रश्नकाल न हो तथा नियम-51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

2-दिनांक 29 मई, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

3-दिनांक 29, 30 व 31 मई तथा 1 जून, 2012 को नियम-51, 300 व 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जायं तथा नियम-56 व 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

4-दिनांक 1 जून, 2012 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो एवं असरकारी दिवस (आधा दिन) तथा विधायी कार्य (आधा दिन) न हो तथा प्रश्नकाल न हो।

5-दिनांक 5 जून, 2012 को विधायी कार्य भी हो।

6-दिनांक 28 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>मई, 2012</u>

28 सोमवार	1-**<u>11.00 बजे पूर्वाह्न</u>** राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण। 2-**<u>12.30 बजे अपराह्न</u>** (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना। (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।
29 मंगलवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं। 2- श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
30 बुधवार 31 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

<u>जून, 2012</u>

01 शुक्रवार	1-**<u>11.00 बजे पूर्वाह्न</u>** वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
02 शनिवार 03 रविवार	बैठक नहीं होगी।
04 सोमवार	(हजरत अली का जन्म दिन) बैठक नहीं होगी।
05 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-विधायी कार्य।
06 बुधवार 07 गुरुवार 08 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
09 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।
11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार 14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
15 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन 8 जून, 2012 के स्थान पर)। 2-विधायी कार्य।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार 21 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

<u>जून, 2012</u>

22 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 29 जून, 2012 के स्थान पर)। 2-विधायी कार्य।
23 शनिवार 24 रविवार	बैठक नहीं होगी।
25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार 28 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
29 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। **2-<u>3.00 बजे अपराह्न</u>** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
30 शनिवार	बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 1 बजे मंगलवार अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड-479, अंक-1
सोमवार 07 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(28 मई, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 479 में 10 अंक है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1-11
उपस्थित सदस्य	13-19
राष्ट्रीय गीत	21
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	21-24
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	24-39
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया)	39
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया)	39
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 2011 पर पुनर्विचार हेतु वापस किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का सन्देश, ...	39-40
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2012 पर पुनर्विचार हेतु वापस किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का सन्देश ...	40
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 ... (सदन के पटल पर रखा गया)	40-41
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	41
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	41
उत्तर प्रदेश निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	41
उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	41
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	42

विषय	पृष्ठ-संख्या
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	42
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	42
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 2011 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	42
श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	42
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक, 2011 ... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	43
द ग्लोकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 ... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	43
शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 ... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	43
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 ... (विधान परिषद् की वापसी की सूचना)	43
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 .... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	43-44
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 ... (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	44
उत्तर प्रदेश विनियोग 2011-2012 का अनुपूरक विधेयक, 2011 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	44
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	44
महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	44
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	45
उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	45
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	45

विषय	पृष्ठ-संख्या
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	45
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 ... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	46
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 ... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	46
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	46-49

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय, श्री — वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
10. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
11. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
12. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
15. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
16. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
20. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
23. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
24. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
25. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
26. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
27. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
31. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
32. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
33. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
34. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
35. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
36. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
37. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अविनाश, श्री — सोनभद्र
40. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
41. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
43. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आलोक कुमार, श्री — मैनपुरी
47. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
48. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
49. आशीष यादव, श्री — बदायूं
50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
51. इकबाल, श्री — बिजनौर
52. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर

53. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
54. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
55. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
56. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
57. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
58. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
59. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
60. उदयराज, श्री उन्नाव
61. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
62. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
63. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
64. उमा भारती, सुश्री महोबा
65. उमाशंकर, श्री बलिया
66. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
67. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
68. ओम कुमार, श्री बिजनौर
69. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
70. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
71. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
72. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
73. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
74. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
75. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
76. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
77. कामेश्वर, श्री देवरिया
78. काली चरन सुमन, श्री आगरा
79. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
80. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
81. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
82. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
83. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
84. कैलाश, श्री गाजीपुर
85. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
86. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
87. गंगा, श्री कुशीनगर
88. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
89. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
90. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
91. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
92. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
93. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
94. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
95. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
96. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
97. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
98. गोमती यादव, श्री लखनऊ
99. गोरख पासवान, श्री बलिया
100. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
101. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
102. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
103. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
104. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
105. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
106. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
107. जगपाल, श्री सहारनपुर
108. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
109. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
110. जफर आलम, श्री अलीगढ़
111. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
112. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
113. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर

114. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
115. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
116. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
117. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
118. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
119. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
120. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
121. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
122. तसलीम, श्री बिजनौर
123. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
124. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
125. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
126. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
127. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
128. दलजीत सिंह, श्री बांदा
129. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
130. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
131. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
132. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
133. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
134. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
135. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
136. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
137. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
138. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
139. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
140. धर्मराज, श्री बाराबंकी
141. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
142. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
143. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
144. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
145. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
146. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
147. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
148. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
149. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
150. नारद राय, श्री बलिया
151. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
152. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
153. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
154. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
155. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
156. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
157. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
158. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
159. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
160. पीतमराम, श्री पीलीभीत
161. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
162. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
163. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
164. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
165. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
166. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
167. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
168. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
169. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
170. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
171. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
172. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
173. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी

174. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
175. फेरन लाल, श्री ललितपुर
176. बंशी सिंह पहड़िया, श्री बुलन्दशहर
177. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
178. बदलू खां, श्री उन्नाव
179. बब्बन, श्री चन्दौली
180. बाबू खां, श्री हरदोई
181. बाबूलाल, श्री गोण्डा
182. बावन सिंह, श्री गोण्डा
183. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
184. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
185. बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
186. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
187. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
188. बैजनाथ, श्री मऊ
189. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
190. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
191. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
192. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
193. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
194. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
195. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
196. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
197. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
198. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
199. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
200. मनबोध, श्री देवरिया
201. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
202. मनीष रावत, श्री सीतापुर
203. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
204. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
205. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
206. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
207. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
208. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
209. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
210. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
211. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
212. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
213. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
214. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
215. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
216. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
217. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
218. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
219. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
220. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
221. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
222. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
223. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
224. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
225. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
226. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
227. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
228. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
229. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
230. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
231. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
232. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर

233. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
234. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
235. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
236. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
237. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
238. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
239. यासर शाह, श्री बहराइच
240. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
241. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
242. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
243. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
244. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
245. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
246. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
247. रणजीत सुमन, श्री एटा
248. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
249. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
250. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
251. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
252. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
253. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
254. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
255. रवि शर्मा, श्री झांसी
256. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
257. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
258. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
259. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
260. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
261. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
262. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
263. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
264. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
265. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
266. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
267. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
268. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
269. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
270. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
271. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
272. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
273. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
274. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
275. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
276. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
277. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
278. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
279. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
280. राम करन आर्य, श्री बस्ती
281. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
282. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
283. राम गोविन्द, श्री बलिया
284. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
285. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
286. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
287. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
288. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
289. राम मगन, श्री बाराबंकी
290. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
291. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर

292. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
293. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
294. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
295. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
296. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
297. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
298. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
299. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
300. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
301. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
302. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
303. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
304. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
305. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
306. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
307. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
308. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
309. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
310. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
311. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
312. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
313. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
314. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
315. विजय पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
316. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
317. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
318. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
319. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
320. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
321. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
322. विजय सिंह, श्री रामपुर
323. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
324. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
325. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
326. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
327. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
328. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
329. वीरपाल राठी, श्री बागपत
330. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
331. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
332. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
333. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
334. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
335. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
336. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैयूया, श्री लखीमपुर खीरी
337. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
338. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
339. शाकिर अली, श्री देवरिया
340. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
341. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
342. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
343. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
344. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
345. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
346. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
347. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
348. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
349. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर

350. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
351. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
352. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
353. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
354. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
355. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
356. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
357. संजय कपूर, श्री रामपुर
358. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
359. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
360. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
361. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
362. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
363. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
364. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
365. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
366. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
367. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
368. सन्तराम, श्री जालौन
369. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
370. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
371. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
372. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
373. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
374. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
375. सियाराम सागर, डा0 बरेली
376. सीमा, श्रीमती जौनपुर
377. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
378. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
379. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
380. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
381. सुधाकर, श्री मऊ
382. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
383. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
384. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
385. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
386. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
387. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
388. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
389. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
390. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
391. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
392. सुल्तान बेग, श्री बरेली
393. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
394. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
395. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
396. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
397. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
398. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
399. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
400. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
401. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
402. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
403. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
*404. रिक्त मथुरा

* श्री जयन्त चौधरी (मथुरा) द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2012 को त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

महामहिम राज्यपाल

श्री बी0एल0 जोशी

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त एवं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), सहकारिता, न्याय एवं विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी एवं मद्यनिषेध, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन, औद्योगिक विकास, भू-तत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, वन एवं जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, दुग्ध विकास, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मत्स्य, विकलांग कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, अवस्थापना, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, राजनैतिक पेंशन, भाषा, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन।
2	श्री मोहम्मद आजम खाँ	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता।
4	श्री अहमद हसन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
5	डा0 वकार अहमद शाह	श्रम एवं सेवायोजन
6	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	परिवहन

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
7	श्री आनन्द सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य
8	श्री अम्बिका चौधरी	राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन
9	श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया	खाद्य एवं रसद, कारागार
10	श्री बलराम यादव	पंचायती राज
11	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण
12	श्री ओम प्रकाश सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास
13	श्री पारस नाथ यादव	लघु सिंचाई, पशुधन
14	श्री रामगोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा
15	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा
16	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा
17	श्री कामेश्वर उपाध्याय	वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद, युवा कल्याण
18	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामोद्योग
19	श्री राजकिशोर सिंह	उद्यान
20	श्री शिव कुमार बेरिया	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	ग्राम्य विकास
3	श्री भगवत शरण गंगवार	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
4	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	महिला कल्याण, संस्कृति

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री इकबाल महमूद	खाद एवं नागरिक आपूर्ति किराया नियंत्रण तथा कारागार
2	श्री महबूब अली	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग
3	श्री शाहिद मंजूर	श्रम, सेवायोजन
4	श्री रियाज अहमद	खादी एवं ग्रामोद्योग
5	श्री फरीद महफूज किदवई	नियोजन
6	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
7	श्री नरेन्द्र सिंह यादव	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल व व्यावसायिक शिक्षा
8	श्री शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान
9	श्री मूलचन्द्र चौहान	पर्यटन
10	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य
11	श्री अभिषेक मिश्रा	प्रोटोकाल
12	श्री विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह	राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन
13	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण
14	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
15	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
16	श्री चितरंजन स्वरूप	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
17	श्री मानपाल सिंह वर्मा	परिवहन
18	श्री कमाल अख्तर	पंचायती राज
19	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण
20	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
21	श्री रामपाल राजवंशी	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण तथा कारागार
22	श्री मनोज पारस	स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा
23	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास, खेलकूद व युवा कल्याण
24	श्री जगदीश सोनकर	भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास

नेता विरोधी दल

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2012-2013)

1-श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)

2-श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)

3-श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

4-श्री आरिफ अनवर हाशमी, सदस्य, विधान सभा (बलरामपुर)

5-श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)

6-प्रो0 शिवाकान्त ओझा, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़)

7-डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

8-श्रीमती हेमलता चौधरी, सदस्य, विधान सभा (बागपत)

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर)

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 28 मई, 2012

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-372

1. अंसार अहमद, श्री	इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री	लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0	इलाहाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान, श्री	अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री	बरेली
10. अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री	उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
15. अनुप्रिया पटेल, सुश्री	वाराणसी
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
17. अबरार अहमद, श्री	सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री	बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री	फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री	लखनऊ
22. अमर पाल शर्मा, श्री	गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री	एटा
24. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
26. अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
27. अरूण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
28. अरूण कुमार, डा0	बरेली
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती	कानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री	रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री	गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
35. अविनाश, श्री	सोनभद्र
36. अशफाक अली खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
37. आदिल शेख, श्री	आजमगढ़
38. आनन्द सिंह, कुंवर	गोण्डा
39. आलमबदी, श्री	आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती	छत्रपति शाहूजी महराज नगर
42. आशीष कुमार यादव, श्री	एटा
43. आशीष यादव, श्री	बदायूं
44. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
45. इकबाल, श्री	बिजनौर
46. इकबाल महमूद, श्री	भीमनगर
47. इन्दल कुमार, श्री	लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री	कानपुर नगर
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
50. इन्द्रपाल सिंह, श्री	रमाबाईनगर
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती	श्रावस्ती
52. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री	लखीमपुर खीरी

53. उदयराज, श्री उन्नाव
54. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
57. उमाशंकर, श्री बलिया
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60. ओम कुमार, श्री बिजनौर
61. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
62. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
63. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
64. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
65. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
66. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
67. कामेश्वर, श्री देवरिया
68. काली चरन सुमन, श्री आगरा
69. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
71. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
74. कैलाश, श्री गाजीपुर
75. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
76. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
77. गंगा, श्री कुशीनगर
78. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
79. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
80. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
81. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
82. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
83. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
84. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
85. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
86. गुलाम मोहम्मद, श्री मेरठ
87. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
88. गोमती यादव, श्री लखनऊ
89. गोरख पासवान, श्री बलिया
90. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
91. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
92. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
93. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
94. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
95. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
96. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
97. जगपाल, श्री सहारनपुर
98. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
99. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
100. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
101. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
102. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
103. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
104. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
105. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
106. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
107. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
108. तसलीम, श्री बिजनौर
109. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
110. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
111. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
112. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
113. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
114. दलजीत सिंह, श्री बांदा
115. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़

116.	दिलवाज खान, श्री	बुलन्दशहर
117.	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
118.	दीपक पटेल, श्री	इलाहाबाद
119.	दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री	झांसी
120.	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
121.	देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	महराजगंज
122.	देवेन्द्र अग्रवाल, श्री	महामायानगर
123.	देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
124.	धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
125.	धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
126.	धर्मराज, श्री	बाराबंकी
127.	धर्मसिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
128.	धर्मेश सिंह तोमर, श्री	पंचशील नगर
129.	नजीवा खान जीनत, श्रीमती	कांशीराम नगर
130.	नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
131.	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
132.	नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
133.	नवाजिश आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
134.	नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री	प्रतापगढ़
135.	नारद राय, श्री	बलिया
136.	निरंजन ज्योति, साध्वी	हमीरपुर
137.	नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहांपुर
138.	नूर सलीम राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
139.	पंकज कुमार मलिक, श्री	प्रबुद्धनगर
140.	परवेज अहमद (टंकी), हाजी	इलाहाबाद
141.	पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
142.	पिंकी सिंह, श्रीमती	भीमनगर
143.	पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
144.	पीतमराम, श्री	पीलीभीत
145.	पूनम सोनकर, श्रीमती	चन्दौली
146.	पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
147.	पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
148.	प्रदीप चौधरी, श्री	सहारनपुर
149.	प्रदीप कुमार यादव, श्री	औरैया
150.	प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
151.	प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री	मेरठ
152.	प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री	औरैया
153.	प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
154.	प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
155.	फतेह बहादुर, श्री	गोरखपुर
156.	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
157.	फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी	देवरिया
158.	फेरन लाल, श्री	ललितपुर
159.	बंशी सिंह पहड़िया, श्री	बुलन्दशहर
160.	बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
161.	बदलू खां, श्री	उन्नाव
162.	बब्बन, श्री	चन्दौली
163.	बाबू खां, श्री	हरदोई
164.	बाबूलाल, श्री	गोण्डा
165.	बावन सिंह, श्री	गोण्डा
166.	बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती	बुलन्दशहर
167.	बृज लाल सोनकर, श्री	आजमगढ़
168.	बृजेश कठेरिया, इंजी0	मैनपुरी
169.	बृजेश कुमार, श्री	हरदोई
170.	बेचई सरोज, श्री	आजमगढ़
171.	बैजनाथ, श्री	मऊ
172.	ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री	कुशीनगर
173.	भगवत सरन गंगवार, श्री	बरेली
174.	भगवती प्रसाद, श्री	अलीगढ़
175.	भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
176.	भाई लाल कोल, श्री	मिर्जापुर
177.	भारतेन्द्र, कुंवर	बिजनौर
178.	भीम प्रसाद सोनकर, श्री	अम्बेडकरनगर
179.	मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
180.	मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद

181. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
182. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
183. मनबोध, श्री देवरिया
184. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
185. मनीष रावत, श्री सीतापुर
186. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
187. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
188. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
189. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
190. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
191. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
192. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
193. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू श्री सीतापुर
194. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
195. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
196. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
197. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
198. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
199. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
200. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
201. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
202. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
203. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
204. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
205. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
206. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
207. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
208. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
209. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
210. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
211. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
212. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
213. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
214. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
215. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
216. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
217. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
218. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
219. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
220. यासर शाह, श्री बहराइच
221. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
222. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
223. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
224. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
225. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
226. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
227. रणजीत सुमन, श्री एटा
228. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
229. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
230. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
231. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
232. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
233. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
234. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
235. रवि शर्मा, श्री झांसी
236. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
237. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
238. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
239. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
240. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
241. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
242. राजकुमार रावत, श्री मथुरा

243.	राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री	महोबा
244.	राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
245.	राजमती, श्रीमती	गोरखपुर
246.	राजाराम, श्री	प्रतापगढ़
247.	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
248.	राजेन्द्र, श्री	गोरखपुर
249.	राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
250.	राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
251.	राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
252.	राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
253.	राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
254.	राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
255.	राधेलाल रावत, श्री	उन्नाव
256.	राधेश्याम, श्री	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
257.	राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
258.	राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
259.	राम करन आर्य, श्री	बस्ती
260.	रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री	भीमनगर
261.	रामगोपाल, श्री	बाराबंकी
262.	राम गोविन्द, श्री	बलिया
263.	रामचन्द्र चौधरी, श्री	सुल्तानपुर
264.	रामचन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
265.	रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
266.	रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
267.	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
268.	राम मगन, श्री	बाराबंकी
269.	राममूर्ति वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
270.	राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
271.	रामलाल अकेला, श्री	रायबरेली
272.	रामवीर उपाध्याय, श्री	महामाया नगर
273.	रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
274.	रामशरन, श्री	लखीमपुर खीरी
275.	राम सिंह, श्री	प्रतापगढ़
276.	रामस्वरूप सिंह, श्री	रमाबाई नगर
277.	रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
278.	रामेश्वर सिंह, श्री	एटा
279.	रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0	लखनऊ
280.	रूबी प्रसाद, श्रीमती	सोनभद्र
281.	रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
282.	लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री	सन्तकबीर नगर
283.	लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
284.	लक्ष्मी गौतम, श्रीमती	भीमनगर
285.	ललितेशपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
286.	लोकेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
287.	लोकेश दीक्षित, श्री	बागपत
288.	वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
289.	वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
290.	वहाब चौधरी, श्री	गाजियाबाद
291.	विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
292.	विजय मिश्र, श्री	सन्त रविदास नगर (भदोही)
293.	विजय कुमार, डा0	गोरखपुर
294.	विजय कुमार दूबे, श्री	कुशीनगर
295.	विजय कुमार मिश्र, श्री	गाजीपुर
296.	विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
297.	विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
298.	विजय सिंह, श्री	रामपुर
299.	विनय तिवारी, श्री	लखीमपुर खीरी
300.	विनोद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
301.	विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
302.	विशम्भर सिंह, श्री	बांदा
303.	वीरपाल राठी, श्री	बागपत
304.	वीर सिंह, श्री	चित्रकूट
305.	वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
306.	वेदराम भाटी, श्री	गौतमबुद्ध नगर

307. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
308. शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैयूया, श्री लखीमपुर खीरी
309. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
310. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
311. शाकिर अली, श्री देवरिया
312. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
313. शाह आलम उर्फ
गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
314. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
315. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
316. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
317. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
318. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
319. शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महाराजगंज
320. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
321. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
322. श्यामदेव राय चौधरी
(दादा), श्री वाराणसी
323. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
324. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
325. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
326. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
327. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
328. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
329. संजय कपूर, श्री रामपुर
330. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
331. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
332. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
333. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
334. सतीश कुमार निगम
'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
335. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
336. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
337. सत्य प्रकाश अग्रवाल
(कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
338. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
339. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
340. सन्तराम, श्री जालौन
341. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
342. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
343. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
344. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
345. सियाराम सागर, डा0 बरेली
346. सीमा, श्रीमती जौनपुर
347. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
348. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
349. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
350. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
351. सुधाकर, श्री मऊ
352. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
353. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
354. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
355. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
356. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
357. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
358. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
359. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
360. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
361. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
362. सुल्तान बेग, श्री बरेली
363. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
364. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
365. सैयूयदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर

366. सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	370. हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
367. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	371. हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
368. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	372. हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
369. हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद		

नोट :-मुख्य मंत्री (अखिलेश यादव), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री, (श्री अहमद हसन) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, अब मद सं0-1 शुभारम्भ, 'वन्दे मातरम'।

वन्दे-मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया आसन ग्रहण करें। अब मैं मद सं0-2 लेता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पहले पढ़ने तो दीजिए। मैं महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा जो भाषण या अभिभाषण दिया गया है मैं उसको पढ़ रहा हूं। माननीय सदस्यगण।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा अभिभाषण पढ़ा ही नहीं गया तो जब पढ़ा ही नहीं गया तो आपके द्वारा उसे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं उठता। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण की पुस्तिका मैंने देखी है। आज पूरे प्रदेश में भुखमरी से किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, पहले पढ़ लेने दीजिए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आज गेहूँ के क्रय केन्द्रों पर बड़े पैमाने पर खरीद में घोटाला हो रहा है और पूरा प्रदेश जंगलराज के हवाले हो चुका है, इसका उपाय करने का कोई भी तरीका इसमें नहीं बताया गया है इसलिए मान्यवर, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के पठन का हम विरोध करते हैं और बहुजन समाज पार्टी इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, आपसे आग्रह है कि कृपया बैठ जाएं।

(तत्पश्चात बहुजन समाज पार्टी के नेता ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक बात यहां पर कही गई कि महामहिम द्वारा अभिभाषण पढ़ा नहीं गया। मैं भी बहुत दिनों से इस सदन में बैठ रहा हूं और मेरे ख्याल से पांच साल में शायद हमेशा ही पढ़ा गया हो, अगर आपको याद आ रहा हो। लेकिन आज आपत्ति उठायी गयी, आप संज्ञान लें या न लें, लेकिन एक बात जरूर है आप संविधान का अनुच्छेद-175 और 176 देख लें। अनुच्छेद-176 में स्पेशल सेशन होता है और जो चुनाव के बाद का प्रथम सत्र होता है। उसमें स्पेशल सेशन माना जाता है, स्पेशली अभिभाषण माना जाता है और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्यपाल के अभिभाषण का उद्देश्य क्या होगा ? इसमें उल्लेख यह है कि सबसे पहले वह कारण बतायेंगें कि सदन क्यों आहूत किया गया। उस अभिभाषण का उद्देश्य ही यह है कि महामहिम राज्यपाल यह कारण बतायेंगे कि सदन आहूत क्यों किया गया, क्यों मैंने सदन को बुलाया ? इस अभिभाषण में एक शब्द इस बात का नहीं है कि सदन आहूत क्यों किया गया ? एक संवैधानिक बाध्यता थी महामहिम राज्यपाल की, उस संवैधानिक बाध्यता को पूरा करना सत्तापक्ष का काम था लेकिन एक शब्द उसमें नहीं है, यह संविधान का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। यह मान्यवर, आप देख लें, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। मैं केवल संविधान के उस अनुच्छेद का उद्धरण दे रहा हूं जिसमें उस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद-175 में नहीं है, अनुच्छेद-176 में है। अनुच्छेद-176 में यह प्राविधान है, उस प्राविधान के अनुरूप आपको लिखना चाहिए था कि हमने इस कारण से सदन को आहूत किया है। यह हमारी बात होगी, इस कारण

से सदन बुलाना पड़ा, क्यों नहीं लिखा इसमें ? इसका मतलब यह है कि कहीं तालमेल राज्यपाल में और सत्तापक्ष में नहीं है, तालमेल का नितान्त अभाव है। उस नितान्त अभाव का प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के ऊपर पड़ने वाला है, प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ने वाला है। यह जो कह रहे थे वह सही नहीं है लेकिन यह सही है कि इसी कारण से दुःखी हो करके लगता है चले गये। इसका आगे परिणाम क्या होना है ? दूसरी बात मैं उल्लेख कर दूं, ठीक है संविधान में प्राविधान है इस बात का कि जब तक नये राज्यपाल आसन ग्रहण नहीं करते हैं तब तक पुराने राज्यपाल चलते रहेंगें। लेकिन मान्यवर, राज्यपाल जैसे गरिमापूर्ण पद को इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए कि न उनका एक्सटेंशन होगा, न उनकी जगह किसी की नियुक्ति होगी और केवल वह दिन गिनते रहेंगे कि मैं आज हूं, कल हूं या परसों तक हूं या नहीं हूं। यह केन्द्र में बैठी हुई सरकार और महामहिम राष्ट्रपति जी का अधिकार था कि जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो राज्यपाल की नियुक्ति करते या इनका कार्यकाल बढ़ाते। यह उचित नहीं है। मान्यवर, दो बिन्दु आपके सम्मुख रखे हैं और दोनों बिन्दु संवैधानिक बिन्दु हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि जो व्यवस्था का प्रश्न आदरणीय हुकुम सिंह जी ने उठाया उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं इसी व्यवस्था से एक बात और जोड़ना चाहता हूं इस सदन की स्थापित परम्परा है, एक बार नहीं, सैकड़ों बार, आपने भी इसे उठाया है, इधर बैठे हुए लोगों ने और उधर बैठे हुए लोगों ने भी उठाया है। राज्यपाल पद पर उनके पद की गरिमा पर कोई आक्षेप नहीं हो सकता है और अगर उनकी नियुक्ति पर आक्षेप किया जा रहा है तो उनकी गरिमा पर आक्षेप किया जा रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने उन पर आक्षेप किया जिनकी जिम्मेदारी थी और वह जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। महामहिम श्री राज्यपाल जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, उनके व्यवहार की, उनके व्यक्तित्व की। जिन लोगों की जिम्मेदारी है व्यवस्था करना, यहां मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूं। श्री राज्यपाल जी के बारे में नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बहुत अच्छी बात कही, एक ही बार मेरे बोलने पर यह उनकी प्रशंसा पर उतर आये। मैं बधाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जब लगातार बोलेंगे तब क्या होगा ?

श्री प्रमोद तिवारी-

दूसरी बार मैं बोलूंगा तो यह आपकी भी प्रशंसा पर उतर आयेंगे। मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस संविधान का जिक्र हो रहा है उस संविधान को टुकड़ों में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, संविधान को पूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए। महामहिम राज्यपाल का आसन एक दिन

के लिए एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रह सकता। यह संवैधानिक बाध्यता है कि प्रत्येक राज्य का एक संवैधानिक मुखिया होगा और वह इसी संविधान के तहत है। जब तक दूसरा राज्यपाल पद नहीं ग्रहण कर लेता तब तक प्रथम राज्यपाल बने रहेंगे। हां मान्यवर, कहीं विशेष परिस्थितियां ऐसी हो जाएं तो प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को या अगल-बगल के राज्यपाल को इस राज्य की शपथ दिलायी जायेगी परन्तु एक क्षण के लिए भी राज्यपाल का पद खाली नहीं रहेगा और उसी में यह व्यवस्था है, मान्यवर, संविधान देख लें कि जब तक दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जायेगी तब तक प्रथम राज्यपाल अपने पद के दायित्व का निर्वाह करते रहेंगे तो माननीय हुकुम सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह वैसे ही सारहीन, वैसे ही तर्कहीन, वैसे ही संविधानहीन है जैसे उनकी पार्टी। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार इसमें इसका कारण और उद्देश्य नहीं दिया गया है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सब समाहित है। शायद आपने पूरा पढ़ा न हो इसलिए ऐसा कह दिया हो इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें सब समाहित है। इसलिए आपके व्यवस्था के प्रश्न को मैं निरस्त करता हूं।

दूसरा जहां तक राज्यपाल के बारे में आपने जो कहा है यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है और उसमें यहां पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता है इसलिए इस व्यवस्था के प्रश्न को भी मैं निरस्त करता हूं।

राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत् अधिवेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं। अत्यन्त हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ एकजुट होकर पूर्ण बहुमत देकर मेरी सरकार का गठन किया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

दो लाइनें तो पढ़ लेने दो। मैंने अपने मंत्रि-मण्डल में प्रदेश के लगभग सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है तथा मेरा यह प्रयास है कि समाज का हर वर्ग प्रदेश के सम्पूर्ण विकास एवं उन्नति की प्रक्रिया में समान रूप से जुड़े। प्रदेश का राजनैतिक इतिहास शानदार रहा है और इसे देश की राजनीति के रूख को मोड़ने की क्षमता रखने वाले कई शानदार नेता मिले हैं, जिनका पूरे देश ने सम्मान किया है, लेकिन यह राज्य पिछले पांच वर्षों में देश के इतिहास की सबसे बड़े भ्रष्टाचार, निर्दोष लोगों के उत्पीड़न और जंगल राज का गवाह बना है। जनता को पत्थर, मूर्तियों और स्मारक के अलावा कुछ नहीं मिला।

राजनैतिक अधोपतन के चलते पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली अनेक घटनाएं इस दौरान घटीं। विगत पांच वर्षों के लूट-घसोट के एजेण्डा के स्थान पर मेरी सरकार ने विकास का एजेण्डा तैयार किया है जो प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जायेगा।

[उत्तर प्रदेश जो देश का अग्रणी प्रदेश हुआ करता था, विगत 05 वर्षों में विकास की दौड़ में अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पीछे छूट गया है। इसको पुनः विकास के पथ पर आगे ले जाने व प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए मेरी सरकार कृतसंकल्प है।

जनाकांक्षाओं की पूर्ति व प्रदेश का समग्र विकास ही मेरी सरकार का लक्ष्य है। बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी अवस्थापना सुविधाओं के बिना समग्र विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। जनता मूर्ति, पत्थर व स्मारक की जगह सड़क, पानी व बिजली जैसी अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर टकटकी लगाये देख रही है।

मेरी सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही अपने चुनावी वायदों पर अमल शुरू कर दिया है। शपथ ग्रहण करने के पश्चात् सबसे पहले हमने चुनावी घोषणा-पत्र पर अमल करते हुए बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पारित कर दी गयी है। इसमें बेरोजगार युवाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं पास छात्र-छात्राओं को टैबलेट एवं लैपटॉप दिये जाने की महात्वाकांक्षी योजना भी बन रही है। शीघ्र ही इसका वितरण प्रारम्भ हो जायेगा जिससे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के एक नये युग की शुरूआत होगी। पिछली समाजवादी सरकार ने छात्राओं के लिये ''कन्या विद्याधन'' योजना लागू की थी जिसे विगत सरकार ने बन्द कर दिया था, उस योजना को पुनः चालू करके प्रदेश की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रेरित किया जायेगा। चुनावी घोषणा-पत्र के एक और वायदे को पूरा करते हुए मेरी सरकार ने किसानों के हित के लिये कृषक दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। चुनाव घोषणा-पत्र के अन्य वायदों पर भी मेरी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। मेरी सरकार जनता से किये गये वायदों को पूरा करने के लिये कृतसंकल्प है।

विगत 05 वर्षों में जनता राज्य सरकार के असहयोगात्मकपूर्ण रवैये से स्तब्ध थी। जनता अपने दुःख दर्द भी ऊपर तक नहीं पहुंचा सकती थी। यह जानकर हर्ष होगा कि जनता के दुःख दर्द को सुनने व उनकी समस्याओं के सम्यक् समाधान हेतु अब मेरी सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर सीधे मुख्य मंत्री से मिल सकती है। इस निमित्त मुख्य मंत्री ने **'जनता दर्शन'** कार्यक्रम को पुनः प्रारम्भ किया है। इसके अतिरिक्त जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से मेरी सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार का प्रत्येक अधिकारी प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक (मंगलवार व रविवार को छोड़कर) अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं को सुनेगा तथा उनका यथेष्ट निराकरण सुनिश्चित करायेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके साथ ही साथ जन-समस्याओं के सम्यक् एवं प्रभावी निराकरण हेतु तहसील स्तर पर प्रत्येक प्रथम व तृतीय मंगलवार को **'तहसील दिवस'** के आयोजन की व्यवस्था की गयी है, जिसमें जनता की सभी प्रकार की शिकायतें तो सुनी ही जायेंगी, साथ ही साथ उनको तहसील स्तर तक प्राप्त होने वाली सेवाओं यथा आय, जाति, निवास, हैसियत इत्यादि प्रमाण-पत्र, खतौनी, खसरा की नकल, कृषक दुर्घटना व बीमा योजनाओं की चेक, शस्त्र लाइसेन्स नवीनीकरण इत्यादि को भी इस व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा जिससे कि उन्हें इन सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त कर प्रदेश में अमन चैन व आपसी सौहार्द स्थापित करना है। अपराध नियंत्रण के साथ-साथ अपराधों के पंजीकरण पर भी निरन्तर जोर दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अल्प समय में ही आम जनता में निर्भीक रूप से अपराध पंजीकरण कराने का वातावरण बना है। महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक चुस्त-दुरुस्त व प्रभावी बनाने की दृष्टि से जनपदीय पुलिस के पर्यवेक्षण के लिये रेन्ज स्तर पर पुलिस उप महानिरीक्षक तथा जोन स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक की पूर्व व्यवस्था को बहाल किया गया है जिसके तहत जोन स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक व रेंज स्तर पर पुलिस उप महानिरीक्षक तथा जनपद स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की तैनाती की व्यवस्था की गयी है।

पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के स्थानान्तरण की वर्तमान व्यवस्था में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षियों की समस्याओं के दृष्टिगत पुलिस विभाग के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षियों को उनके गृह जनपद के निकटवर्ती जनपद में स्थानान्तरित किये जाने पर लगी पाबन्दी को समाप्त कर दिया गया है।

प्रदेश के किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराना मेरी सरकार का संकल्प है। विगत वर्षों की तरह फसल के समय खाद की अनुपलब्धता न हो, इसके लिये मेरी सरकार ने खाद की प्रीपोजीशनिंग की व्यवस्था की है। खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिये किसानों को उन्नत एवं नये बीजों की आवश्यकता होती है। मेरी सरकार का प्रयास रहेगा कि किसानों को उन्नत बीज उचित दाम पर उपलब्ध कराया जाये जिससे प्रदेश में बीज प्रतिस्थापन की मानक दर प्राप्त हो सके। मेरी सरकार द्वारा जैविक खेती की ओर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 165.62 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। किसानों की उपज बढ़ाने हेतु जनपद स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है जिनके माध्यम से कृषकों को मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान की जाती है।

प्रदेश के कृषकों को समय से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसली ऋण वितरण हेतु बैंकों से विशेष समन्वय स्थापित करते हुए मेगा कैम्पों का आयोजन

कराकर प्रदेश को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जायेगा। ऋणग्रस्त किसानों की समस्याओं की ओर मेरी सरकार संवेदनशील है और शीघ्र इस सम्बन्ध में योजना बनाकर इस समस्या का समाधान किया जायेगा।

मेरी सरकार किसानों के आर्थिक, सामाजिक उन्नयन हेतु कृत संकल्प है। किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय की प्रभावी व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की जायेगी। सरकार सीधे किसानों से इस निर्धारित मूल्य पर किसान की उपज की खरीद सुनिश्चित करेगी। वर्तमान गेहूं खरीद वर्ष की पूरी तैयारी गत सरकार द्वारा समय पर नहीं की गई है, जिससे बोरों की कमी से कुछ स्थानों पर खरीद प्रभावित हुई। फिर भी मेरी सरकार ने प्रभावी कदम उठाये तथा परिणामस्वरूप गत वर्ष से लगभग 25 प्रतिशत अधिक खरीद चल रही है। सरकार ने आढ़तियों के माध्यम से भी खरीद की शुरूआत की और इस हेतु राज्य सरकार की ओर से रु0 300 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की है, जिसके परिणामस्वरूप छोटे किसानों को लाभ पहुंचा है। अगले वर्ष की धान खरीद व गेहूं खरीद हेतु अभी से व्यवस्था करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि इस योजना का पूरा लाभ किसानों को मिल सके।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने तथा गेहूं व चावल की उत्पादकता, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

प्रदेश के 29 लाख गन्ना किसानों एवं उनका परिवार गन्ने की खेती पर आश्रित है और यही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। सरकार गन्ना किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा उनका भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

गन्ना किसानों को उत्तम किस्म के बीज और खाद समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। वर्तमान गन्ना उत्पादकता को 59 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 70 टन प्रति हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक चीनी परतायुक्त गन्ना प्रजातियों के विकास के लिये गन्ना शोध केन्द्रों से नई किस्म की गन्ना प्रजातियों को विकसित कर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रदेश का चीनी परता निकटवर्ती राज्यों पंजाब एवं हरियाणा से अधिक तथा उत्तराखण्ड एवं बिहार से कम है। चीनी परता में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वर्ष 2014-15) में चीनी परता 10.00 प्रतिशत निर्धारित कर राष्ट्रीय औसत (10.30 प्रतिशत) के बराबर प्राप्त करने का सतत् प्रयास जारी है। देश के गन्ना क्षेत्रफल में प्रदेश का अंश 50 प्रतिशत तथा गन्ना उत्पादन में 35.5 प्रतिशत है। वर्ष 2016-17 तक गन्ना उत्पादन 1755.00 लाख टन, उत्पादकता प्रति हेक्टे0 70 मी0 टन, चीनी परता 10.30 प्रतिशत तथा चीनी उत्पादन 104.84 लाख मी0 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्तमान में प्रदेश में 20,000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय उपलब्ध है। अगले पांच वर्षों में प्रदेश में 15,000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

भेड़ पालन, बकरी पालन एवं सूकर पालन मुख्यतः समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। भेड़ एवं बकरी पालन को अधिक उपयोगी बनाने के लिये इनके नस्ल सुधार पर विशेष बल दिया जायेगा। कमजोर वर्गों के कुक्कुट पालकों को बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। इस कार्य को और गति दी जायेगी।

कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध का लाभकारी मूल्य दिलवाने एवं कृषि आधारित ढांचा सुदृढ़ करने की ओर मेरी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जायेगा।

प्रदेश में दुग्ध के क्षेत्र में अमूल आदि से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा को देखते हुए विभाग द्वारा दुग्ध उपार्जन एवं विपणन को और अधिक सुदृढ़ तथा गतिशील बनाये जाने के लिये मेरी सरकार द्वारा कदम उठाये जायेंगे। जनपद लखनऊ में एक बड़ी डेयरी स्थापित करने के साथ-साथ डेयरी कार्य को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने की पहल की जा रही है।

बुन्देलखण्ड पैकेज का पिछले पांच सालों में क्रियान्वयन नहीं किया गया जिसके कारण बुन्देलखण्ड में सिंचन क्षमता का सृजन नहीं हो पाया और न ही अवस्थापना का विकास हो पाया। मेरी सरकार में इन योजनाओं की समीक्षा की गयी है तथा इसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे-सिंचन क्षमता का सृजन, कमाण्ड एरिया का विकास, वाटर शेड मैनेजमेन्ट, पशुधन विकास, दुग्ध विकास, मण्डियों का निर्माण आदि कार्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हो सकेंगे तथा वहां की जनता को इसका लाभ मिलेगा।

प्रदेश सरकार एक ऐसे औद्योगिक वातावरण के सृजन का प्रयास कर रही है, जो रोजगार परक हो तथा प्रदेश की समृद्धता को आगे बढ़ाये। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित करने हेतु मेरी सरकार विकासोन्मुख वातावरण सृजित करने के लिए औद्योगिक अवस्थापना को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल करेगी और अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को भागीदार बनायेगी। पश्चिमांचल के दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के अतिरिक्त पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक-एक इन्वेस्टमेंट जोन की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जायेगी।

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति वर्ष 2004 में बनाई गयी थी। गत तीन वर्षों से प्रदेश में कोई औद्योगिक नीति नहीं थी। मेरी सरकार द्वारा एक विकासोन्मुखी औद्योगिक नीति लाई जायेगी। मेरी सरकार का प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे आकर्षक निवेश प्रदेश के रूप में अपनी पहचान स्थापित करे।

प्रदेश के निर्यातकों को अधिकाधिक सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना तथा वायुयान भाड़ा युक्तिकरण सहायता योजना भी लागू है, जिसके अन्तर्गत निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा अपना माल विदेश भेजने हेतु भाड़े के मद में भी नियमानुसार वित्तीय सहायता दी जाती है। मेरी सरकार द्वारा इस योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा।

बुनकरों के समग्र विकास हेतु एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 50 क्लस्टर संचालित हैं, जिसमें लगभग 17,000 बुनकरों को लाभ दिया जा रहा है। क्लस्टर योजना

में जो हथकरघा बुनकर शामिल नहीं हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने हेतु ग्रुप एप्रोच योजना के द्वारा लाभ दिया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 8,000 बुनकरों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। बुनकरों के स्वास्थ्य के लिए आई0सी0आई0सी0आई0 लोमबार्ड बीमा कम्पनी द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है।

पावरलूम बुनकर प्रोत्साहन योजना (सामान्य), पारवलूम प्रोत्साहन योजना (एस0सी0पी0) संचालित किये जाने की योजना है, जिसके अन्तर्गत पावरलूम बुनकरों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं पावरलूम उपलब्ध कराया जायेगा। कौशल विकास एवं तकनीकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत तकनीकी एवं प्रबन्धकीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। रिवाईवल रिफार्म एवं रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों एवं समितियों की ऋण माफी कर उन्हें पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में 4500 नई ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना बैंकों से वित्तपोषण कराकर किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विद्युत आपूर्ति बढ़ाने व कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत आपूर्ति सुधारने की दृष्टि से ग्रामीण बत्ती व कृषि फीडर को अलग करने की योजना बनाई गयी है। विद्युत वितरण क्षेत्र में ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों को कम करने तथा वितरण तंत्र को सुदृढ़ीकरण के लिये आर-ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत कार्य किया जायेगा। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 16 से 22 घण्टे के बीच विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जैसे-जैसे नयी परियोजनाओं का कार्य पूरा होता जायेगा, वैसे-वैसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि की जायेगी। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। निजी और सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी और आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जाएगी। उद्योग और कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए नये बिजली घरों का निर्माण, पुराने बिजली घरों का सही रख-रखाव को प्राथमिकता दी जाएगी तथा पारेषण हानियों/लाइन-लॉसेज को न्यूनतम स्तर पर लाकर बिजली चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाया जाएगा।

ऊर्जा के परम्परागत स्रोत सीमित होने तथा उनके दोहन से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के दृष्टिगत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके प्रचार-प्रसार को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। प्रदेश में उपलब्ध स्रोतों यथा सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत एवं बायोमास पर आधारित विद्युत उत्पादन की क्षमता के विकास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रयास किये जायेंगे।

सड़कों, पुल, पुलिया का निर्माण सरकार की मुख्य प्राथमिकता होगी। पहले से निर्माणाधीन पुलों के निर्माण को अवाध गति से कराया जायेगा। जिन गांवों को अभी तक सड़क से जोड़ा नहीं गया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़ने की योजना है।

प्रदेश के संतुलित विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए मेरी सरकार द्वारा सड़कों, सेतुओं के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं अनुरक्षण आदि कार्यों के सम्पादन हेतु समुचित बजट व्यवस्था की जायेगी। मेरी सरकार द्वारा शहरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए बाईपास, सेतुओं, रेल उपगामी सेतुओं तथा फ्लाई ओवर निर्माण को विशेष महत्व दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य राज मार्गों के उच्चीकरण एवं सुधार हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता करने पर भी बल दिया जायेगा। जिला मुख्यालयों को चार लेन सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। समय की बचत तथा सुविधाजनक आवागमन हेतु राजधानी नई दिल्ली और लखनऊ को सीधे एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित की जाएगी जिससे दोनों शहरों के बीच सड़क मार्ग से कहीं अधिक सुगमता व सुरक्षा के साथ लगभग आधे समय में आवागमन संभव हो सकेगा।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं को आगामी 30 वर्षों के नगरीय परिदृष्य/आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन योजनाओं को मेरी सरकार द्वारा मूर्त रूप दिया जायेगा। नगरीय अवस्थापना सुविधाओं को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा।

नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में ''राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथारिटी'' का गठन किया गया है तथा अन्य नदियों के प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

प्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास एवं जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद् के माध्यम से आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मेरी सरकार प्रयास करेगी।

यातायात को सुगम किये जाने हेतु लखनऊ मेट्रो परियोजना के अधीन कुल लम्बाई 37.5 कि0मी0 हेतु डी0एम0आर0सी0 (DMRC) द्वारा लगभग रु0 12,500.00 करोड़ की DPR तैयार की गई है।

आवासीय अभिकरणों, विकास प्राधिकरणों तथा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा चयनित स्थानों पर आई0टी0 पार्क की स्थापना हेतु प्राथमिकता पर कार्य किया जायेगा ताकि प्रदेश के नवयुवकों के रोजगार के अवसर बढ़ सके।

अगले पांच साल में विशेष योजना बनाकर प्रदेश की सभी असिंचित जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी। बुन्देलखण्ड सूखा से और प्रदेश का पूर्वी भाग बाढ़ से त्रस्त रहता है। इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाकर और आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करके बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश को सम्पन्न बनाया जायेगा। प्रदेश में सृजित सिंचन क्षमता का पूर्ण उपयोग किये जाने हेतु नहरों के प्रबन्धन एवं जल बंटवारे में कृषकों की सहभागिता बढ़ाने हेतु कुलाबा स्तर पर कुलाबा समितियों एवं अल्पिकाओं तथा राजबहों पर जल उपभोक्ता समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। सतही जल की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन हेतु वृहद् एवं मध्यम सिंचाई

परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। राजकीय लघु सिंचाई के अन्तर्गत 245 लघु डाल नहरें सिंचाईरत हैं। विश्व बैंक की सहायता से उ0 प्र0 राज्य वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 216 चेकडैम निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 160 चेकडैमों का कार्य प्रगति पर है तथा 14 चेकडैमों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2012-13 में आर0आई0डी0एफ-15 के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 08 जनपद क्रमशः झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली में सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजना प्रस्तावित है।

सूखा बाहुल्य क्षेत्र कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0) प्रदेश के 15 जनपदों के 60 चयनित विकास खण्डों में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि संरक्षण, जल संसाधन, वनीकरण/उद्यानीकरण, सामुदायिक संगठन, प्रशिक्षण आदि कार्यों के माध्यम से क्षेत्र का उपचार किया जाता है।

समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) के समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0डी0पी0) के अन्तर्गत भूमि संरक्षण, जल संसाधन, वनीकरण/उद्यानीकरण, सामुदायिक संगठन एवं प्रशिक्षण इत्यादि कार्य कराकर समस्याग्रस्त क्षेत्र को उपचारित किया जाता है।

समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) के अन्तर्गत अधिकाधिक लाभ इस प्रदेश के किसानों को पहुंचाया जायेगा।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा वर्तमान में सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना प्रदेश के 29 जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत ऊसर बाहुल्य जनपदों की 1,30,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधारने का लक्ष्य निर्धारित है। इस परियोजना की अवधि माह दिसम्बर, 2015 तक है।

समाज के समस्त वर्गों के असहाय, शोषित एवं सुविधा विहीन लोगों के उत्थान के लिए मेरी सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनमें मुख्यतया शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान तथा रोजगार परक योजनायें सम्मिलित हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण समय पर पारदर्शी तरीके से करने हेतु बल दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में छात्रवृत्ति वितरण का अनुश्रवण सम्मिलित है।

मेरी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत तीस लाख परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश राज्य की 17 पिछड़ी जातियों (राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, धीमर, बिन्द, भर, केवट धीवर, बाथम, मछुआ, मांझी, तुरहा, गौड़) को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सभी सुविधायें प्रदान करना प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अधिकाधिक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने की योजना है।

मदरसों/मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अल्पसंख्यकों की लड़कियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए महिला

छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण की योजना भी संचालित है। अरबी फारसी मदरसों की मान्यता एवं उनकी परीक्षाओं को संचालित करने हेतु अरबी फारसी मदरसा बोर्ड स्थापित है, जिसके द्वारा परीक्षाओं का संचालन किया जाता है।

जनपद लखनऊ में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग संस्थान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित समस्त कब्रिस्तानों की भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने व भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से चहारदीवारी के निर्माण हेतु प्रथम चरण में इसी वित्तीय वर्ष 2012-13 में समुचित व्यवस्था की जा रही है।

विकलांगजन को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकलांग भरण-पोषण अनुदान, दुकान निर्माण/संचालन, कृत्रिम अंग, आश्रय गृहों का संचालन एवं शल्य चिकित्सा अनुदान की योजनायें मेरी सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्मित संस्थाओं का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है।

समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के समुचित पोषण एवं प्रतिरक्षण के लिए विभाग द्वारा विभिन्न सेवायें प्रदान की जा रही है।

अनुपूरक पोषाहार योजना के अन्तर्गत गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को माइक्रोन्यूट्रियन्ट फूड तथा 03 से 06 वर्ष के बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन व मार्निंग स्नैक्स दिया जाता है।

महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के 602 परियोजनाओं में संचालित की जा रही हैं। समाज में बालकों के सापेक्ष बालिकाओं के घटते अनुपात, भ्रूण हत्या को रोकने एवं बालिकाओं को सम्मानजनक/आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं वयस्क विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है।

अनाथ बच्चों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर एक दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी तथा जनपद स्तर पर दत्तक ग्रहण इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर नवीन राजकीय बाल गृहों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्राविधानों को क्रियान्वित करने हेतु मानक के अनुसार अवशेष असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे, जिनमें शिक्षकों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण एवं भाषा, गणित तथा विज्ञान विषय पर विशेष बल दिया जायेगा। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजकीय/परिषदीय/शासकीय सहायता

प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, ए0आई0ई0 केन्द्रों, तहतानियां स्तर के मदरसों तथा एन0सी0एल0पी0 केन्द्रों को आच्छादित किया जा रहा है।

प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। कक्षा 8 तक सभी पुस्तकें मुफ्त और कन्याओं को वर्ष में दो वस्त्र मुफ्त दिये जायेंगे। इसी प्रकार सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।

मेरी सरकार ने प्रदेश में शैक्षिक वातावरण तैयार करने व छात्रों के भविष्य को संवारने हेतु **10वीं पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टेबलेट पी0सी0 तथा 12वीं पास छात्र-छात्राओं को लैपटाप दिये जाने का निर्णय लिया है।**

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से मेरी सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना को पुनः चलाने का निर्णय लिया गया है तथा अच्छे अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को एक साइकिल भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

2500 राजकीय तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में केन्द्रपुरोनिधानित योजना के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना लागू की गयी जिसमें निःशुल्क कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा प्रदान की जा रही है।

छात्र संघों के माध्यम से छात्रों को न्यायोचित समस्याओं का समाधान सम्भव होता है, इसी के दृष्टिगत मेरी सरकार द्वारा **प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराये जाने का निर्णय लिया गया है।** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के लिये निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना किये जाने के लिये मानक निर्धारित किये गये हैं। शिक्षा को रोजगारपरक बनाये जाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी विकास खण्डों में जहां कोई कन्या डिग्री कालेज नहीं है, जमीन की उपलब्धता को देखते हुए वहां सरकारी कन्या डिग्री कालेज की स्थापना की जायेगी और पांच साल के अन्दर इन कन्या महाविद्यालयों में बी0एड0 कक्षायें चलाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर दी जायेगी।

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस तथा अन्य कुशल कारीगर को तैयार करने हेतु प्रदेश में राजकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी संस्थायें स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा।

प्रदेश में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 25 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं। केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक फण्डिंग से 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण की योजना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के अन्तर्गत 80 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण किया जा रहा है। केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और दो स्किल डेवलपमेंट सेन्टर खोला जाना प्रस्तावित है।

कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विभिन्न स्रोतों से शोध परियोजनायें संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालयों में फसल सुधार सस्य व पौध सुरक्षा तकनीकी, बीज उत्पादन कर सम्यक् कृषक उपयोग तकनीकी के विकास को गति दी जा रही है। कृषि से संबंधित नवीन तकनीकों का विकास तथा प्रसार हेतु कृषि विश्वविद्यालय में कृषि शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में शरीर पर मैला ढोने की कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है एवं इसी निर्णय के अन्तर्गत केन्द्रीय अधिनियम सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत करते हुए उसे लागू किया गया है। मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि इस कार्य को कर रहे व्यक्तियों को अन्य रोजगारों में स्थापित करते हुए इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जाय।

प्रदेश सरकार त्रिस्तरीय पंचायतों को स्व-शासन की इकाई के रूप में स्थापित करने के उपरान्त गांवों में त्वरित विकास हेतु उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। मेरी सरकार द्वारा पंचायतों को और सशक्त एवं सुदृढ़ करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने और उन्हें स्वच्छता संबंधी आदेशों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिये सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का संचालन किया जा रहा है। पंचायतों के माध्यम से विकास को और गतिशील किया जायेगा।

मेरी सरकार द्वारा एक अत्यन्त ही महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की गई है, जिसके अन्तर्गत **30 से 40 वर्ष के बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।**

सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को एक वर्ष में तीन बार, अर्थात् चार माह का एक साथ बेरोजगारी भत्ता भुगतान किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 09 लाख बेरोजगार लाभान्वित होंगे।

समाजवादी विचारधारा का सिर शर्म से झुकता है, जब इंसान, इंसान को पशु की तरह सवारी करता है। सभ्य समाज का दायित्व है कि समाज के इस निर्धन एवं कमजोर रिक्शा चालक वर्ग, जिसमें आठ वर्ष से अस्सी वर्ष का बुजुर्ग टी0बी0 के मर्ज के साथ अपने शारीरिक ढांचे को घसीटता है, के प्रति सदाशयता का भाव प्रदर्शित करते हुए उसे भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। मेरी सरकार द्वारा **रिक्शा चालकों को उनके वर्तमान रिक्शा के स्थान पर मोटर तथा सोलर से चार्ज होने वाले अत्याधुनिक सिस्टम से बनाया गया रिक्शा मुफ्त दिया जायेगा।**

प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को पूर्णरूपेण उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है। इसी के अन्तर्गत मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में जनता को चिकित्सा सुविधा मुफ्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। असाध्य रोगों जैसे-हृदय का आपरेशन, कैंसर, लीवर, किडनी आदि का उपचार प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों को समृद्ध बनाकर मुफ्त प्रदान किया जाएगा।

सभी विकास खण्ड स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करते हुए उनको अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा (जैसे अल्ट्रासाउंड, सी0टी0 स्कैन, ई0सी0जी0 और पैथोलोजी लैब) से लैस किया जाएगा और इन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरो की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाएगी। क्षेत्र प्रमुख प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की निरन्तर समीक्षा करते रहेंगे।

प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी सुविधाओ से युक्त एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, जिससे गंभीर मरीजों को तत्काल बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को चिकित्सीय सुविधायें मुफ्त दी जायेंगी। प्रदेश में सभी राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गो पर आपातकालीन चल चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जाएगी, जिससे दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भेजकर राहत सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश में 25 मेडिकल कालेज स्थापित हैं, जिनमें से 07 राजकीय मेडिकल कालेज, 04 स्वायत्तशासी संस्थान एवं 14 निजी क्षेत्र में हैं। डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ की स्थापना एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में सुपर स्पेशिलिटी उपचार के भार को कम करने के उद्देश्य से की गयी है।

चिकित्सा के क्षेत्र में अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षा प्रदान करना एवं उच्चस्तरीय शोध कार्य हेतु लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित है। वर्ष 2005 में सैफई, इटावा में उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्धान की स्थापना की गयी थी। 300 बेड वाले इस चिकित्सालय को वर्तमान में 733 बेड का कर दिया गया है। प्रदेश में कन्नौज, जालौन, आजमगढ़ के मेडिकल कालेजों तथा सैफई के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को शीघ्र चालू कराया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में खास तौर से गोरखपुर और झांसी में उच्च चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें जापानी बुखार और बच्चों की अन्य बीमारियों के इलाज का विशेष प्रबंध होगा। सरकारी मेडिकल कालेज को बेचने की पूर्ववर्ती सरकार की योजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। प्रदेश के ऐसे 03 मण्डलों व 51 जनपदों में जहां वर्तमान में कोई मेडिकल कालेज नहीं है, वहां निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए प्रभावी इन्सेन्टिव योजना लाई जायेगी।

उत्तर प्रदेश के 73 परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है और 04 नवसृजित कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण शीघ्र किया जायेगा।

बढ़ती हुई वाहन दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिये शासन द्वारा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। पड़ोसी राज्यों के साथ आपसी सहमति के आधार पर जन सामान्य को सुगम, सुलभ एवं सस्ती यातायात सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार दृढ़संकल्प है। महत्वपूर्ण मार्गों पर उच्च श्रेणी की बसें, जैसे-वातानुकूलित, लक्जरी एवं सुपर लक्जरी आदि बसों का संचालन भी किया जा रहा है। इन सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा।

राज्य में ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत प्रदेश की जनता को उनके निवास के समीप विभिन्न प्रकार की शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मूलभूत अवस्थापना सुविधा के रूप में राज्य में जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर तक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) की स्थापना की गई है।

शासकीय सेवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में, जिसमें ग्रामीण अंचल भी शामिल हैं, इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु राज्य में स्टेट डाटा सेन्टर के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि मेरी सरकार द्वारा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इस योजना को अधिक सुचारू रूप से और नये स्वरूप में संचालित किया जायेगा।

प्रदेश के समस्त कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से खतौनियों के कम्प्यूटीकरण पर निरन्तर बल दिया जा रहा है। फलस्वरूप भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदेश की तहसीलों के चकबन्दी से बाहर के 99,949 ग्रामों की खतौनियों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। प्रदेश की समस्त तहसीलों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य जनपद स्तरीय भू-अभिलेख डाटा सेंटर योजनान्तर्गत किया जा रहा है। प्रदेश की समस्त तहसीलों को कनेक्ट करने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ एवं इलाहाबाद में स्थापित न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। मेरी सरकार द्वारा समस्त राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण चरणबद्ध तरीके से करने की दिशा में कार्य किया जायेगा।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त नक्शों को डिजीटाइज किया जायेगा एवं सेटेलाइट इमेजरी के नक्शों का मिलान कर, उससे एक आदर्श नक्शे का निर्माण किया जायेगा, जो कम्प्यूटर पर उपलब्ध होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के उपरान्त अमल-दरमद हेतु सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से तहसील कम्प्यूटर केन्द्र को लिंक किया जायेगा। राजस्व परिषद में ई-पत्रावली साफ्टवेयर लागू किया गया है।

वित्त वेतन समिति, 2008 द्वारा प्रदेश के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण/विसंगतियों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों के अवशेष प्रकरणों पर इस वित्तीय वर्ष में निर्णय लिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा संदर्भित विसंगतियों तथा समस्याओं का निराकरण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

कर व्यवस्था को यथा-सम्भव सरलीकृत किया जायेगा। विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों को युक्ति-संगत बनाया जायेगा। वाणिज्य कर विभाग के कार्यों को पारदर्शी व सुगम बनाने हेतु विभाग की कार्यप्रणाली के विभिन्न माड्यूल तैयार कराये जायेंगे। वर्तमान में आनलाईन रिटर्न दाखिल करने, ई-पेमेन्ट किये जाने, आनलाईन पंजीयन एवं रिफण्ड के लिए प्रार्थना-पत्र दिये जाने की व्यवस्था है।

मेरी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि कर राजस्व का संग्रहण इस प्रकार बढ़ाया जाये, जिससे व्यापारियों के अनावश्यक उत्पीड़न की सम्भावनायें कम हों तथा प्रदेश के उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता प्रभावित न हो।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनायें/कार्यक्रम यथा-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन्दिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क

योजना, ग्रामीण पेयजल योजना, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बायोगैस कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

नागरिक संगठनों (सी0एस0ओ0) तथा गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) के चयन हेतु ऐसी प्रक्रिया अपनाई जायेगी ताकि वास्तविक एवं सक्षम संस्थाओं की भागीदारी ग्रामीण रूपान्तर/परिवर्तन में सुनिश्चित की जा सके।

इस वर्ष विभिन्न औद्यानिक विकास योजनायें क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें राज्य औद्यानिक मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं बड़े शहरों के आस-पास शाकभाजी उत्पादन की राष्ट्रीय पहल योजना प्रमुख है। औद्यानिक विकास को गतिशीलता प्रदान किये जाने हेतु वर्ष 2012-2013 में नवीन योजनाओं, यथा-औद्यानिक फसलों का डाटाबेस सृजन एवं राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने तथा मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये जल प्लावित भूमि को मत्स्य पालन हेतु तालाब के रूप में विकसित कराने तथा 13.00 हेक्टेयर जलक्षेत्र में मत्स्य पालन विविधीकरण हेतु महाझींगा तथा देसी मांगुर पालन का कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है।

रेशम उद्योग प्रदेश के 54 जनपदों के चयनित विकास खण्डों में चलाया जा रहा है। जनपद वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज के माध्यम से प्रदेश के रेशम उद्यमियों/रेशम उत्पादकों एवं बुनकरों को उचित मूल्य पर रेशम धागा एवं रेशमी वस्त्रों के क्रय एवं विक्रय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुओं को जन साधारण तक पहुंचाना तथा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाना खाद्य एवं रसद विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है। विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर को कम्प्यूटरीकृत कर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जन सामान्य राशन सम्बन्धी शिकायतें/सुझाव ऑन लाईन दर्ज करा सकेगा।

सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठान एवं वितरण सम्बन्धी सूचना ऑन लाइन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के 21 निर्धनतम पिछड़े जनपदों में रुपये 60,000/-वार्षिक आय सीमा वाले लाभार्थियों को बी0पी0एल0 दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु प्रदेश में राज्य स्तर पर राज्य आयोग की एक मुख्य पीठ तथा दो अतिरिक्त पीठ और जिला स्तर पर 75 जिला मंच उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में अग्रणी एवं प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रदेश में भू-गर्भ में छिपे खनिजों के अन्वेषण एवं पूर्व में ऑकलित खनिज भण्डारों के वैज्ञानिक दोहन के विनियमन का कार्य दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 10 स्थानों पर विभाग खनिज अन्वेषण का कार्य चल रहा है जिनमें प्लैटिनम, स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य खनिजों के अन्वेषण के कार्य भी हैं। मेरी सरकार की यह नीति होगी कि खनन उद्योग में लगे हुए माफियाओं को प्रत्येक दशा में इससे बाहर रखा जाय तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उपखनिज प्राप्त हो, जिससे प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों/भवन इत्यादि के निर्माण सुगमता एवं कम लागत के आधार पर हो सकें।

उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों तथा सभी धर्मों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों एवं ताजमहल, फतेहपुर सीकरी की वजह से पर्यटन के विकास की अपार संभावनायें हैं। बुद्धिस्ट सर्किट के अन्तर्गत चिन्हित 10 महत्वपूर्ण स्थानों में से 6 महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जहां पिछले वर्ष लगभग 5 लाख विदेशी पर्यटक आये। बनारस को प्राचीनतम नगरी माना जाता है और वहां पर बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं।

पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास होना आवश्यक है। कुशीनगर तथा आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना, आगरा में ताजगंज वार्ड के समुचित विकास का कार्य, मथुरा-वृन्दावन सर्किट पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा क्षेत्र में स्थित प्राचीन कुण्डों/वनों के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

पर्यावरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसी वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यावरण नीति लागू किये जाने की योजना है। पर्यावरण, विशेषकर जन स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु स्वच्छ ऊर्जा फण्ड के अन्तर्गत अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट डम्प साइट्स के उपचार की योजना है जिसके अन्तर्गत लघु उद्योगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनसे जनित होने वाले जल प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के उद्देश्य से उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु राज्य सहायता से संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र स्थापित कराया जाना है, जिससे समस्या का निदान हो सके।

प्रदेश में नवयुवक खिलाड़ियों को विशेष खेल प्रशिक्षण के लिए लखनऊ एवं गोरखपुर में 02 स्पोर्ट्स कालेज स्थापित हैं, जहां पर विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ लखनऊ में इण्टरमीडिएट तक गोरखपुर में हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा प्रशिक्षार्थियों को दी जाती है जिन्हें विभाग द्वारा प्रशिक्षण के साथ-साथ निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा एवं अन्य समस्त सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। सहारनपुर तथा फतेहपुर में स्पोर्ट्स कालेज निर्माणाधीन है। मेरी सरकार द्वारा सैफई में भी स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की जायेगी।

सुलह समझौते के माध्यम से वादों का निस्तारण किये जाने हेतु मध्यस्थों एवं कांसिलिएटर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में ए0डी0आर0 सेण्टर की स्थापना की गयी है। प्रथम चरण में 15 जनपदों में ए0डी0आर0 सेण्टर के भवन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में मा0 न्यायाधीशों के प्रशासकीय कार्यों में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मा0 उच्च न्यायालय तथा जनपद न्यायालय में कोर्ट मैनेजर का पद सृजित किया गया है।

प्रदेश की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत विकास की दर प्राप्त करने तथा राज्य की प्राथमिकताओं को मूर्तरूप देने हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने तथा देश एवं प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान 50 प्रतिशत गैप कम किये जाने के उपाय किये जायेंगे।]

अब मैं अन्तिम लाइन पढ़ देता हूं। माननीय सदस्यगण, मैंने आपके सम्मुख सरकार की प्रमुख नीतियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2012-2013 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा तथा कुछ ज्वलंत समस्याओं पर विचार किया जायेगा। इसी सत्र में कुछ प्रतिस्थानी विधेयक और कुछ अन्य विधेयक भी आपके विचारार्थ प्रस्तुत नहीं

किये जा सकते हैं तथा जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस सदन की उच्च गरिमा एवं मूल्यों तथा पवित्रता को बनाये रखेंगे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि प्रदेश के समग्र विकास के लिये आपका सराहनीय भरपूर सहयोग मिले। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आहूत करता हूं। जयहिन्द।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2012
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2012)†

संसदीय कार्य मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012)†

संसदीय कार्य मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 पर पुनर्विचार हेतु वापस किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का सन्देश

श्री अध्यक्ष-

माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने एक सन्देश भेजा है उसे मैं आपके बीच पढ़ रहा हूं।

बी0एल0 जोशी राजभवन
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ-227132
दिनांक 16 मई, 2012

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11-8-2011 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11-8-2001 को पारित करने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

उक्त विधेयक के पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान सभा का सामान्य चुनाव सम्पन्न हुआ और नई सरकार का गठन हो चुका है। नवगठित राज्य सरकार के अभिमत में उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की वर्तमान व्यवस्था ही उचित है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य मंत्रि-परिषद् ने दिनांक 27-4-2012 को प्रस्ताव पारित कर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लेने का अनुरोध किया है।

---

† छापा नहीं गया।

मंत्रि परिषद् के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मैं, बी0एल0 जोशी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश भारत का संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों को इस सन्देश के साथ वापस करता हूं कि इस विधेयक को वापस लिये जाने पर विचार किया जाये।

बी0एल0 जोशी

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 पर पुनर्विचार हेतु वापस किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का सन्देश

श्री अध्यक्ष-

माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने एक और सन्देश भेजा है उसे मैं आपके बीच पढ़ रहा हूं।

बी0एल0 जोशी राजभवन
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ-227132
दिनांक 23 मई, 2012

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 उत्तर प्रदेश विधान सभा दिनांक 11-8-2011 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा भी दिनांक 11-8-2011 को पारित करने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

उक्त विधेयक के पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान सभा का सामान्य चुनाव सम्पन्न हुआ और नई सरकार का गठन हो चुका है। नवगठित राज्य सरकार ने भू-अध्यासियों के सम्बन्ध में नई नीति का निर्धारण करने हेतु मत व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की वर्तमान व्यवस्था ही उचित है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य मंत्रि परिषद् ने दिनांक 17-05-2012 को प्रस्ताव पारित कर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लेने का अनुरोध किया है।

मंत्रि-परिषद् के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मैं, बी0एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, भारत का संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों को इस सन्देश के साथ वापस करता हूं कि राज्य सरकार के उक्त निवेदन के परिपेक्ष्य में इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाये।

बी0एल0 जोशी

यह दो विधेयक माननीय राज्यपाल जी ने वापस किये हैं जिसको आपके सामने मैंने पढ़कर सुना दिया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान के

अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित कि करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

द ग्लोकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

द ग्लोकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को पारित किया गया

था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को वापस प्राप्त हो गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2010 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदया ने अपनी अनुमति विधारित कर दी है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 अगस्त, 2011 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अगस्त, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-

महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 01 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदया की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 नवम्बर, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 नवम्बर, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 नवम्बर, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12, मद संख्या-13 तथा 13 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 मई, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 28 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 28 मई, 2012 को प्रश्नकाल न हो तथा नियम-51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

2-दिनांक 29 मई, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

3-दिनांक 29, 30 व 31 मई तथा 1 जून, 2012 को नियम-51, 300 व 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जायं तथा नियम-56 व 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

4-दिनांक 1 जून, 2012 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो एवं असरकारी दिवस (आधा दिन) तथा विधायी कार्य (आधा दिन) न हो तथा प्रश्नकाल न हो।

5-दिनांक 5 जून, 2012 को विधायी कार्य भी हो।

6-दिनांक 28 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

मई, 2012

28 सोमवार	1-11.00 बजे पूर्वाह्न राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण। 2-12.30 बजे अपराह्न (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना। (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।
29 मंगलवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं। 2- श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
30 बुधवार 31 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

जून, 2012

01 शुक्रवार	1-11.00 बजे पूर्वाह्न वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।
02 शनिवार 03 रविवार	बैठक नहीं होगी।
04 सोमवार	(हजरत अली का जन्म दिन) बैठक नहीं होगी।
05 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-विधायी कार्य।
06 बुधवार 07 गुरुवार 08 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
09 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।

जून, 2012

11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार 14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
15 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन 8 जून, 2012 के स्थान पर)। 2-विधायी कार्य।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार 21 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
22 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 29 जून, 2012 के स्थान पर)। 2-विधायी कार्य।
23 शनिवार 24 रविवार	बैठक नहीं होगी।
25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार 28 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
29 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-3.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
30 शनिवार	बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15 में कुछ नहीं है। अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 1.00 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 28 मई, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 167 विधान सभा (310)-13-8-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।